भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 63 /2015–20
नई दिल्ली, दिनांक 07 मार्च, 2016

विषयः– प्राथमिकताओं की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी) जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के परिशिष्ट 2ग के अंतर्गत प्राधिकृत एजेंसियों की सूची में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी) प्रमाणन जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेन्सियों की सूची में तम्बाकू बोर्ड को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ग में संशोधन करते हैं, जो इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	उद्गम का जीएसपी प्रमाण पत्र जारी हेतु प्राधिकृत एजेंसियाँ	के लिए प्राधिकृत
16.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद के लिए जीएसपी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर को अधिकार प्रदान किया गया है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/56/एएम 13/पीसी–2(ख)/खण्ड–2 से जारी)